न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 139/2024

अनवान : –

1 शफातअली पुत्र बशीरा बी पत्नी स्व0 शाह मोहम्मद पुत्री अकबर मोहम्मद सलमान निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1. अलीशेर पुत्र खुशी मोहम्मद
2. गुलाम मोहम्मद पुत्र खुशी मोहम्मद
3. जुलेखा बीबी पुत्री खुशी मोहम्मद
4. फलकशेर पुत्र खुशी मोहम्मद
5. रसीद मोहम्मद पुत्र खुशी मोहम्मद (मृतक)
   5/1 – हमीद खां पुत्र रसीद मोहम्मद
   5/2 – जमीला बी पुत्री रसीद मोहम्मद

   जाति मुसलमान निवासीयान् गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. तहसीलदार (राजस्व) तहसील टिब्बी पदेयन एस. आर. कार्यालय, टिब्बी जिला हनुमानगढ़

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री महेश गौड प्रार्थी
श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 10/3/25

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण के नाम से संलग्न जमाबंदी प्रार्थनापत्र चक 1 एम. के. एस. बी. के खाता संख्या – 56 / 54 ओर चक 1 एम. के. एस. ए. के खाता संख्या– 29/31 में भूमि दर्ज कागजात् राजस्व के हैं, जिसका विवरण क्रमशः चक अनुसार इस प्रकार से है रू– चक 1 एम. के. एस. बी. खाता संख्या – 56 / 24 प0न0 205/213 मुरब्बा नं0 1 किला नं0 6/1/0. 228 है0, कि0न0 6/2/0. 025 है0 गै०मु० रास्ता, प0न0 206/213 (2) कि0न0 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25/2.277 है0 नहरी प0न0 206/214 (मु0न0 9) कि0न0 5/1/202 है0 नहरी, 5/2/051 है० गे०मु० खाला, कुल खाता भूमि योग 3.542 है0 नहरी मय गै०मु० पन० 207/214 (मु0न0 8) कि0न0 1, 2, 9/0.759 है0, चक 1 एम.के.एस.ए. खाता संख्या – 29/31 प0न0 210/211 (मु0न0 1) कि0न0 17, 18, 19, 20, 23, 24/1.518 है0 नहरी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या –2 में वर्णित चक 1 एम. के. एस. बी. जमाबंदी खाता संख्या – 56/24 की प0न0 205/213 मु0न0 1 किला नं0 6/1/0.228 है0 नहरी, कि0न0 6/2/0.025 है0 गै०मु० रास्ता, कुल 0.253 है0 यानी कि एक बीघा भूमि प्रार्थी की माता स्व० बशीरा बी को उसके पिता अकबर अली ने वरवक्त अपनी सम्पत्ति भूमि के घरू बंटवारा में अपने जायज व कानूनी वारिसानों में बंटवारा के समय दी गई भूमि है जिस पर वरवक्त घरू बंटवारा से लेकर प्रार्थी की स्व० माता बशीरा बी के कब्जा काश्त में चली आई और बाद गुजरने बशीरा बी माता प्रार्थी की उक्त एक बीघा भूमि मुताबिक बंटवारा घरू के प्रार्थी के कब्जे काश्त में बदस्तूर चली आ रही है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–3 में तथाकथित वर्णित भूमि अप्रार्थीगण के पिता खुशी मोहम्मद पुत्र अकबर अली ने जानबूझकर बिना किसी हक व हिस्से के गोपनीय रूप से प्रार्थी की माता बशीरां बी से छुपाकर गैर काननी रूप से तथाकथित किला भूमि को वरवक्त सैटलमैंट के

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Scanned with CamScanner

भू–प्रबन्ध विभाग से अपने ... विभाग के रेकार्ड से राजस्व कागजात् में अमलदरामद हो गया, जोकि विधि विरुद्ध एवं विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल दर्ज किया गया ऐसा करने का कोई भी कानूनी प्रावधान भू–प्रबन्ध विभाग को इजाजत नही देता बदस्तूर आज तक बशीरा बी माता प्रार्थी एवं स्वंय प्रार्थी का चला आ रहा है । तथाकथित चरण संख्या–2 में वर्णित किला भूमि अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खातेदारान के हिस्सा के रूप में दर्ज कागजात् राजस्व में अंकित होने के कारण और मन में लालच एवं बदयांति आ जाने के कारण अपने नाम से अंकित हिस्सा भूमि का नाजायज एवं गैर कानूनी रूप से फायदा उठाने की गर्ज से प्रार्थी की उक्त तथाकथित किला भूमि को हड़पने की गर्ज से और उसे उसके कब्जा भूमि से महरूम करने करने की गर्ज से आये दिन सरेआम ऐलानिया धमकी दे रहा है कि तथाकथित किला हमारे नाम से दर्ज कागजात् है, अब कब्जा जबरन तथाकथित भूमि का हम लेंगे और ऐसा करने के लिये प्रयत्नशील हैं । जबकि किदमी अर्से से तथाकथित किला भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं स्वामित्वधानण व स्वामित्वधीन की भूमि है, सहबवन से राजस्व दर्ज कागजात् में अंकन होने से वंचित रह गई, जिसका अप्रार्थीगण नाजायज फायदा उठाने की फिराक में हैं, इस स्थिति में प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने जेरकार प्रार्थनापत्र के ताफैसला अदालत हाजा से अपना हक घोषित करवाने के लिये अधिकारी होता है जिसके फलस्वरूप प्रार्थी तथाकथित किला भूमि के निस्वत् बतौर खातेदार कृषक घोषित करवाने एवं स्थाई रूप से अप्रार्थीगण को तथाकथित भूमि में दखलन्दाजी करने से महरूम करने से स्थाई रूप से दखलअन्दाजी करने से पाबंद करने का याचित अनुतोष कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी बनता है ।

यह कि प्रार्थनापत्र के तथ्यों की रूहानियत को स्पष्ट करने की गर्ज से निवेदित है कि परिवार वंशज मुख्य अकबर के पास विभिन्न चकों क्रमशरू 1 एम. के. एस. बी. 2 एम. के. एस. बी. 2 एम. के. एस., 1 एम.के.एस., 5 एस.बी.एन. और 8 एस. बी. एन. के चकों में कुल 77 बीघा भूमि थी, जिसे अकबर ने बतौर जायज व कानूनी वारिसान् के अपने चकूक भूमि का घरू बंटवारा करते हुवे प्रत्येक वारिस, सरदार मोहम्मद, सवाले मोहम्मद, गनी मोहम्मद, खुशी मोहम्मद, को 19–19 बीघा प्रत्येक को बंटवारा में दी और तथाकथित किला भूमि चक 1 एम. के. एस. बी. के प0न0 205/213 (मु0न01) कि0न0 6/1/0.228 है0, 6/2/0. 025 है0 गै0मु0 रास्ता, कुल 0.253 है0 अर्थात एक बीघा भूमि अपनी पुत्री बशीरा बी को दी जो कि मोजूदा में उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जाकाश्त की है । चूंकि अकबर ने अपनी सम्पत्ति भूमि अपने जीवनकाल में विभाजित करके अपने वारिसानों को बांट दी थी । माननीय न्यायालय का यह स्थापित सिद्धांत है कि राजस्व रिकार्ड कोई अधिकारी स्वत्वहित प्रदान नही करता है जिसका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, सिर्फ वित्तिय प्रयोजन के लिय है । यहाँ यह भी निवेदित है कि तथाकथित भूमि रजामंदी से बाहमी बंटवारे के अनुसार प्रार्थी की माता को हिस्से में आयी थी, इस बंटवारे के बाबत् किसी प्रकार का एतराज नही किया गया। जबकि अप्रार्थीगण के पिता खुशी मोहम्मद द्वारा अपने हक व हिस्से से ज्यादा तथाकथित एक बीघा को राजस्व कागजात् में (वरवक्त सैटलमेंट के आधार के) अंकित करवाई है जो कि शुन्य व अवैध है। और उक्त तथाकथित भूमि सहित अप्रार्थीगण अपने पिता खुशी मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत बतौर हिस्सेदारान के दर्ज कागजात् राजस्व के हुए हैं । किन्तु तथकथित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा नही है। इस स्थिति में प्रार्थी तथाकथित प्रार्थनापत्र का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। चूंकि घोषणा का अनुतोष उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जो भूमि पर काबिज है। और घोषणा के द्वारा राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टी में शुद्धिकरण का अनुतोष भी प्रार्थी प्राप्त करने का हकदार होता है । जबकि प्रार्थी अपने इक हिस्से पर काबिज काश्त है, भूमि का उपभोग कर रहा है, कब्जा काश्तकार है। किन्तु राजस्व रेकार्ड में तथकथित भूमि अप्रार्थीगण हिस्सेदारान के दर्ज है, इस वजह से अप्रार्थीगण तथाकथित भूमि को बेचान करने पर आमदा हैं शान्तीपूर्ण कब्जा से बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं । इस स्थिति में वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को तथाकथित

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner

भूमि का हस्तान्तरण व बेचान करने से पाबंद किया जाना विधि सम्मत् एवं न्यायोचित बनता है और कानूनन प्रार्थी उक्त अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई मरतबा इस अमर का निवेदन किया कि आप लोग मेरी तथाकथित भूमि कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी ना करें किन्तु अप्रार्थीगण पर इस प्रकार के निवेदन का कोई असर नही हुआ अपितु दिनांक 15.10.2024 को अप्रार्थीगण मेरी तथाकथित भूमि पर कब्जा करने की नियत से प्रयत्न किया, जिसमें वो कामयाब नही हुवे किन्तु कब्जा करने की फिराक में हैं, पस यही बिनाय मुखासमत प्रार्थनापत्र एवं वाद कारण है । प्रार्थी अपनी माता को रजामंदी से बाहमी बंटवारे के अनुसार प्राप्त तथाकथित एक बीघा का बतौर स्वामित्वधारक व स्वामित्वधान के अपने हक हिस्से के अनुसार काबिज काश्तकार के है जबकि अप्रार्थीगण के पिता खुशी मोहम्मद ने अपने हक हिस्से से ज्यादा उक्त तथाकथित एक बीघा भूमि को वरवक्त सैटलमेंट के भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज कागजात् करवाकरके राजस्व कागाजात् में अंकित करवाया जिस पर अप्रार्थीगण बतौर हिस्सेदारान के अंकित चालू राजस्व कागजात् के हैं जाकि शुन्य एवं विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल हैं । अप्रार्थीगण उक्त अंकन के आधार पर प्रार्थी को तथाकथित बीघा भूमि के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करके अपूर्णीय क्षति पहुँचाने पर आमादा हैं और ऐलानिया तौर से कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं और अपनी उक्त धमकी को अन्जाम देने के लिये प्रयत्नशील हैं, इस सीिति में अगर अप्रार्तिगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी को ना पूरी होने वाली क्षति पहुँचेगी एवं भविष्य में मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रार्थी के शान्तिपूर्वक चले आ रहे कब्जाधीन आराजी तथाकथित भूमि से महरूम होना पड़ेगा, इस स्थिति में निवेदित है कि प्रार्थनापत्र के धारा अनुकूल तमाम तत्व प्राईमाफेसिया केस, अपूर्णीय क्षति एवं कानूनी सन्तुलन बखूबी प्रार्थी के हक में गेड़-आऊट होता है। अतः अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश के जरिये इस अमर के लिए पाबंद किया जावे कि वो तथाकथित किला भूमि चक 1 एम. के. एस. बी. प०न० 205/213 मु०न० 1 किला नं० 6, बाबत् मौजूदा यथास्थिति बनाये रखें एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने एवं अन्य किसी प्रकार से बेचान अथवा हस्तान्तरण करने से ममनू व बाज रहें। लिहाजा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके निवेदित है कि याचित अनुतोष बहक प्रार्थी के हक में दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की और से जरिये अधिवक्ता जबाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वाद पत्र पेश होना स्वीकार है लेकिन कामयाबी की कोई उम्मीद नही है क्योकि प्रार्थी द्वारा वाद गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया काबिल खारीजी के है । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 3 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नही । चक नं० 1 एम.के.एस बी के खाता सं0 56/24 प०न० 205/213 मु० 1 किलानं0 6/.253 मय गै०मु० हम अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है। प्रार्थी ने यह कतई गलत अंकित किया है कि प्रार्थी की माता स्व० बसीरा वी को उसके पिता अकबर अली ने घरू बटवारां मे दी हो। प्रार्थी की माता बशीरां वी का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नही है । हम अप्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित आराजी अपने पिता खुशी मोहम्मद से प्राप्त हुई है जिसके हम खातेदार काश्तकार है । हम अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर आर. एम. जी. बी. शाखा खाराखेड़ा से ऋण लिया हुआ है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 4 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नही। प्रार्थी ने यह तथ्य कतई गलत अंकित किये है कि हम अप्रार्थीगण के पिता खुशी मोहम्मद से प्राप्त आराजी में प्रार्थी की माता बशीरा बी का कोई हक व हिस्सा बनता हो । प्रार्थी की माता बशीरा वी, खुशी मोहम्मद की वारिस नही है । प्रार्थी के यह तथ्य कतई गलत है कि सेन्टलमेंन्ट भू-विभाग से मिलकर गलत अंकन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया हो। प्रार्थी ने यह भी कतई गलत अंकित किया है कि उक्त एक बीघा कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थी के कब्जा काश्त मे हो।

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner

तर्फ श्र प्रार्थना पत्र के तथ्य कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नहीं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नही बनता और ना ही प्रार्थी की माता का कोई हक व हिस्सा बनता है। हम अप्रार्थीगण को अपने पिता खुशी मोहम्मद से आराजी प्राप्त हुई है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नही है। प्रार्थी ने यह कतई गलत अंकित किया है कि उक्त एक बीघा कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थी का हो। प्रार्थी हम अप्रार्थीगण के विरुद्ध हम अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में किसी तरह का अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी घोषणा का वाद लाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 6 में वर्णित तथ्य कि प्रार्थी द्वारा जो वंशावली प्रस्तुत की गई है वह अकबर के वारिसो की है। अकबर के वारिसों का उक्त आराजी में मात्र खुशी मोहम्मद का हक व हिस्सा अनुसार नामान्तरण दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा अकबर के नाम का कोई राजस्व रिकार्ड पत्रावली मे पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की चरण सं0 6 में यह कतई गलत अंकित किया है कि चक 1 एम. के. एस. बी के प०न० 205/213 मु० 1 किला नं0 6/.253 है० प्रार्थी की माता बशीरा बी को विभाजन में प्राप्त हो । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 7 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नही प्रार्थी जरिये घोषणा अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। हम अप्रार्थीगण के पिता खुशीमोहम्मद की आराजी में प्रार्थी की माता बशीरा बी का हक व हिस्सा नही बनता । प्रार्थी किसी भी तरह का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है । प्रार्थना पत्र की दफा 9 में दर्ज तथ्य कतई गलत, असत्य व मिथ्या अंकित किये गये है। प्रार्थी के यह तथ्य कतई गलत है कि सेन्टलमेंन्ट भू-विभाग से मिलकर गलत अंकन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया हो । प्रार्थी द्वारा कोई ऐसे दस्तावेज सेन्टलमेन्ट के प्रस्तुत नही किये है। प्रार्थी ने यह भी कतई गलत अंकित किया है कि उक्त एक बीघा कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थी के कब्जा काश्त मे हो । उक्त आराजी पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है, जब प्रार्थी के पास उक्त भूमि का कब्जा ही नही है तो धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता । उक्त भूमि अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रार्थी किसी प्रकार से हम अप्रार्थीगण के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नही है, अगर प्रार्थी के पक्ष में व हम अप्रार्थीगण लाबी के खिलाफ स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी व हम अप्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारों से महरुम हो जावेगे। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपरिमेय क्षति तीनो बिन्दू हम अप्रार्थीगण के पक्ष मे है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर०टी०ए० मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। बहस पर मनन किया जाकर हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत घोषणा साक्ष्य सबूतो के आधार पर मूल दावे के निर्णय में तय होना है। इस प्रकम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी करना उचित नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है। प्रथम दृष्टयता सलंग्न राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादभूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड के अनुसार 1 एमकेएस बी के खाता स0 56/54 में कुल 3.542 है0 भूमि में प्रार्थी उक्त चक के प0न0 205/213 मु0न0 1 किला न0 6/1/0.228 है0 व 6/2/0.025 है0 गै0मु0 कुल .253 है0 भूमि अपनी माता बशीरा बी को दी जाने का कथन किया लेकिन राजस्व रिकोर्ड के अवलोकन से बशीरा बी के नाम से ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली के सलंग्न प्रार्थी द्वारा पेश नही किया गया है प्रार्थी द्वारा की गयी भूमि की मांग का निर्धारण वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होगा की प्रार्थी वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने की अधिकारी है या नही। प्रथम

उपखण्ड अधिकारी / पदेन सहायक कलक्टर
रिड़मलसर

Scanned with CamScanner